श्रम विभाग

दिनांक 20 नवम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/एफडी/141-87/46774.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० नेवर कार्बन एण्ड सैरामिक्स प्रा० लि०, प्लाट नं० 175, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक महा सचिव नेवर कार्बन एण्ड सैरामिक्स प्रा० लि० सैरामिक्स एण्ड रिफ्रेक्ट्रीज वर्कर्ज यूनियन, बी:-62, इन्दरा नगर सैक्टर 7, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

(1) क्या संस्था का प्रत्येक श्रमिक वर्ष में एक डैरीकाट की वर्दी और एक जोड़ी जूता लेने का हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

(2) क्या संस्था का प्रत्येक श्रमिक प्रति मास दो किलो साबुन तथा पांच किलोग्राम गुड़ लेने का हकदार है? यदि हां, तो किस विवरण में ?

मीनाक्षी आनन्द चौधरी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

दिनांक 20 नवम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/एफडी/92-87/46786.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ओनील इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, 58-ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री तापेश्वर सिंह, पुत्र श्री कुंजा सिंह, मार्फत श्री प्रदीप शर्मा, एडवोकेट, निशानहट, 39, एन. एच. 5, निकट पुलिस स्टेशन एन. आई. टी. फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्री तापेश्वर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफडी/82-87/46793.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ओनील इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, 58 ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री गोपाल सिंह, पुत्र श्री निरोती लाल, मार्फत श्री प्रदीप शर्मा एडवोकेट, निशानहट, 39, एन. एच. 5, निकट पुलिस स्टेशन एन. आई. टी. फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक, अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं ।

क्या श्री गोरख सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 26 नवम्बर, 1987

सं. ओ.वि./रोह./164-87/47515.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. [illegible] रोड, [illegible] जिला रोहतक, के श्रमिक श्री रोहतास सिंह, पुत्र श्री [illegible], महमीना [illegible] जिला रोहतक, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम [illegible] 573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री रोहतास सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./171-87/47543.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० [illegible], बहादुरगढ़, जिला रोहतक, के श्रमिक श्री बलबीर सिंह, मार्फत श्री आर० एस० यादव प्रधान, भारतीय मजदूर संघ, [illegible], रेलवे रोड, बहादुरगढ़ (रोहतक) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है —

क्या श्री बलबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर. एस. अग्रवाल,

उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।